न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीष,द्वितीय्,सह विषेष न्यायाधीष,उत्पाद,समस्तीपुर।

<u>बिथान थाना काण्ड स0 83/18, कम्पयूटर निबंधन सं0 992/18</u>

<u>25.7.19</u> आवेदक **1.कुन्दन कुमार उर्फ सुमित कुमार,** जो बिथान थाना काण्ड सं0 83/18, धारा–30(a), 32(3) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दि0 19.7.19 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसकी ओर से पूर्व में दाखिल कि0मिस0 17010/19 मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा सम्प्रेषण के साथ खारिज हो चुका है। उसके पष्चात उसकी ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उसके पास से कोई षराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद षराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र ग्रामीण राजनीति एवं दुष्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नही बनती है। सह अभियुक्त का अग्रिम जमानत मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना से हो चुका है। आवेदक दि0 19.7.19 को आत्मसमर्पण किया है तथा उस दिन से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेष देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख तथा मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा कि0मिस0 17010/19 में पारित सम्प्रेषण का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–30(a), 32(3) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त का नाम सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में घटनास्थल पर 324 बोतल विदेषी षराब के साथ पकड़े गये अभियुक्त दिलवर यादव द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर इस वाद में आया है जिसके अनुसार बरामद षराब आवेदक कुन्दन कुमार एवं कुलदीप यादव उर्फ कपिलेष्वर यादव कही से लाकर ईख के खेत में रखा है जिसका वह बिक्री का काम करता है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा वाद अनुसधान की अवसथा में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति गम्भीरता, एवं बरामद षराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर

से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद